

## राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना-2016

वर्ष 2024-25 (पुरस्कार वर्ष 2023-24)

### आवेदन पत्र पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिका

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की 12 पुरस्कार श्रेणियों हेतु अनुच्छेद बी में दिये गये आवेदन पत्र का उपयोग करना है।
2. “Best Business Practices” की तीनों श्रेणियों को छोड़कर अन्य श्रेणी के MSME’s को अनुच्छेद बी में दिये गये आवेदन का भाग 1 (1 से 15 कॉलम) एवं भाग II की तालिका कॉलम VII एवं VIII की पूर्ति अनिवार्य है। शेष कॉलम स्वैच्छिक है।
3. “BBP” की तीनों श्रेणियों के लिए अनुच्छेद बी के सभी कॉलम एवं संलग्न दस्तावेजों की पूर्ति अनिवार्य है। आवेदन के संबंधित कॉलम में पूर्ति नहीं होने एवं उचित दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर अंकों की कटौती संभव है।
4. अनुच्छेद बी के “Type of unit” में EM II/UAM/Udyam Registration Number के अनुरूप Micro/Small/Medium की लागू श्रेणी अंकित हो। शेष श्रेणियाँ स्पष्ट रूप से हटा दी जावें।
5. श्रेणी Catetory के कॉलम में अनुच्छेद ए में अंकित श्रेणी यथा “Best in Growth of Business in terms of turnover/Best Business Practices/Best women Entrepreneur/Sick Industries में से एक श्रेणी जिसमें आवेदन किया जाना है, अंकित होनी चाहिए।
6. “Best women Entrepreneur” श्रेणी में आवेदन हेतु योजना में निर्धारित Norms के अनुरूप उद्यम को महिला स्वास्थ्य में होने संबंधी दस्तावेजीय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. हस्तशिल्पी/बुनकर श्रेणी के लिए अनुच्छेद सी में दिये गये प्रारूप का उपयोग किया जावें। अनुच्छेद बी के अन्त में दिये गये सत्यापन घोषणा पत्र को इस श्रेणी के आवेदन के लिए भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. हस्तशिल्पी/बुनकर श्रेणी में आवेदन हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होना अनिवार्य शर्त है।
9. विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत करते समय III वर्ष से अभिप्राय 2021-22, II वर्ष से अभिप्राय 2022-23 एवं I वर्ष से अभिप्राय 2023-24 लिया जाना अपेक्षित है।
10. पुलिस द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र कि आवेदक किसी भी आपराधिक मामले में लिप्त नहीं है। (पुरस्कार हेतु अंतिम चयन होने पर प्रस्तुत करना होगा।)